सं. 16/05/2022 – रा. भा. (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी – II भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली – 110 001
दिनांक: 25 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभाषा विभाग के दिनांक 21.06.2016 के कार्यालय आदेश सं. 13034/23/2016 – रा. भा. (प्रशा.) के तहत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग एवं क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की गई थी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के लिए अलग से स्थानान्तरण नीति बनाने की आवश्यकता को देखते हुए राजभाषा विभाग में इस संबंध में गठित समिति ने अपनी अनुशंसा प्रदान की है जोकि अनुलग्नक - I पर संलग्न है।

2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के भागीदार सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तथा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों से अनुरोध है कि स्थानांतरण नीति के संबंध में अपने सुझाव कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तिथि के 15 दिन के अंदर राजभाषा विभाग को उपलब्ध करवाएं। प्राप्त सुझावों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति को अंतिम रूप से जारी किया जाएगा।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

25/4/2022

(हेमलता)
अवर सचिव (सेवा)

सेवा में,

1. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के भागीदार सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय।
2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारी/ कर्मचारी।
3. तकनीकी निदेशक (एन आई सी)। कृपया कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
4. गार्ड फाइल।

अनुलग्नक - 1

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति

1. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कार्मिकों के पदोन्नति पर अनिवार्यत: स्थानांतरण किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों ने एक मंत्रालय/ विभाग/ संबद्ध कार्यालय में 05 वर्ष की सेवा पूरी की है, को उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार यथासंभव अन्य मंत्रालयों/विभागों में स्थानांतरित किया जाएगा।

3. किसी भी अधिकारी/कार्मिक की तैनाती एक कार्यालय में लगातार 05 वर्ष और पूरे सेवाकाल में 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी।

4. दो वर्ष अथवा इससे कम का सेवाकाल शेष होने की स्थिति में किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

5. जिन मंत्रालयों/विभागों से 02 या उनसे अधिक अधिकारी/कर्मचारी स्थानांतरित/पदोन्नत होंगे, उनमें से जिस अधिकारी कर्मचारी की कार्यरत अवधि तुलनात्मक रूप से कम होगी, उसी कार्मिक को उसी मंत्रालय में रखा जा सकता है (चाहे उसने 5 वर्ष से अधिक की सेवा उस मंत्रालय/विभाग में पूरी कर ली हो) ताकि उस मंत्रालय विभाग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। अत: जिस अधिकारी के 5 वर्ष पूरे होने पर उसे उस समय स्थानांतरित नहीं किया गया है, उसे अगले वर्ष उस मंत्रालय/ विभाग से स्थानांतरित किया जाएगा।

6. इस नीति के अन्तर्गत जो अधिकारी/ कर्मचारी मंत्रालयों में कार्यरत होंगे, उन्हें यथासंभव दूसरे विभागों से संबद्ध कार्यालयों में यथासंभव उनके विकल्पों के आधार पर तथा उसी प्रकार संबद्ध कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को अन्य मंत्रालयों में स्थानांतरित किया जाएगा।

7. यदि पति एवं पत्नी दोनों भारत सरकार के कार्मिक हैं, तो दोनों को एक स्टेशन (कार्यस्थल) पर तैनाती देने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। मानवीय आधार पर स्थानांतरण जैसे पति- पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती, चिकित्सा आधार पर तैनाती, दिव्यांग कार्मिकों तथा ऐसे कार्मिकों जिनके बच्चे मानसिक रोगी है, जैसे मामलों पर सहानुभूति पूर्वक यथासंभव विचार किया जाएगा तथा इन कारणों की लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा।

8. ऐसे कार्मिक जो प्रतिनियुक्ति पर अन्य कार्यालयों में गए हुए हैं, उनके प्रत्यावर्तन के समय जिन कार्यस्थलों पर रिक्ति होगी, उन्हें उन कार्यस्थलों पर ही तैनात किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त किए गए कार्यस्थल पर प्रत्यावर्तित होने के बाद दोबारा तैनात करना उनका अधिकार नहीं होगा।

9. कार्मिक की शिकायत मिलने पर, सरेंडर किए जाने पर अथवा उसके द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन किए जाने पर, मामले की जांच करने के पश्चात ही स्थानांतरण पर निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

10. तैनाती हेतु किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश अथवा राजनैतिक दबाव डलवाने को अयोग्यता (केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली, 1964 का नियम – 20) माना जाएगा और संबंधित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

11. कार्य की आवश्यकता या किसी विशेष परिस्थिति में किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को कभी भी/ कहीं भी स्थानांतरित किए जाने का अधिकार राजभाषा विभाग के पास होगा।